

23700/23


INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

A4

16

Base Certificate No.	: IN-UP70568852415457V
Certificate No.	: IN-UP71060397016646V
Certificate Issued Date	: 27-Jul-2023 11:20 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14735104/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1473510437199582511369V
Purchased by	: SRINIVASA DEVELOPERS
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA.NO-576 AND OTHERS VILL-NIZAMPUR TEH-MLG LKO
Consideration Price (Rs.)	: 1,72,500
First Party	: DAYA SHANKAR
Second Party	: SRINIVASA DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	: SRINIVASA DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,72,500 (One Lakh Seventy Two Thousand Five Hundred only)





STAMP PAPER USED
at Registrar (Mohanlalganj)
Lucknow U.P.

Please write or type below this line



Daya Shankar

Daya Shankar



Shivendra Pratap Singh

Srinivasa Developers
Shivendra Pratap Singh
Partner



K

0002059312

Statutory Alert:

- The authenticity of the Stamp Certificate can be verified at www.shivendestamp.com or using a Stamp Mobile App on Android/iOS.
- Any change made in the Stamp Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The price of the Stamp Certificate is as per the rates of the certificate.
- In case of any discrepancy, contact the Registrar, Mohanlalganj, Lucknow.




INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

AY

Certificate No. : IN-UP70563852415457V
 Certificate Issued Date : 26-Jul-2023 04:24 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14735104/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1473510436327652735971V
 Purchased by : SRINIVASA DEVELOPERS
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-576 AND OTHERS VILL-NIZAMPUR TEH-MLG LKO
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DAYA SHANKAR
 Second Party : SRINIVASA DEVELOPERS
 Stamp Duty Paid By : SRINIVASA DEVELOPERS
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

शिवेंद्र प्रताप सिंह

Srinivasa Developers
Shivendra Pratap Singh
Partner

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at www.shcheetamp.com or using e-Stamp Mobile App of State, UP/UP
Any discrepancy in the Stamp on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The duty of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any dispute approach the competent Authority.

/3/

विक्रय मूल्य -34,52,000/-रु0

मालियत -14,33,000/-रु0

देय स्टाम्प -1,72,600/-रु0

भूमि किस्म ग्रामीण कृषि दर 18,00,000/- रु0 प्रति हे0
मूल्यांकन सूची के अनुसार

लेखपत्र का विवरण-विक्रय पत्र

- 1-सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
2-ग्राम :- निजामपुर
3-परगना :- मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
4-सम्पत्ति का विवरण :- खाता सं0- 656 की गाटा सं0- 576/0.493 हे0,
577/0.063 हे0, 581/0.202 हे0, 582/0.013 हे0 कुल 4
किता रकबा 0.771 हे0 व खाता सं0-607 की गाटा सं0-
590/0.025 हे0 कुल विक्रीत रकबा 0.796 हे0 विक्रेता का
सम्पूर्ण अंश
5-विक्रीत क्षेत्रफल :- 0.796 हे0
6-सड़क से दूरी :- विक्रीत भूमि लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग से 02 कि0मी0 व
रेलवे स्टेशन से 06 किमी की दूरी पर स्थित है।

विक्रीत भूमि गाटा सं0-576, 577, 581, 582 सभी गाटे एक स्थान पर है जिसकी चौहद्दी
निम्न है :-

पूरब - गाटा सं0-575

पश्चिम - गाटा सं0-580, 589, 561

उत्तर - गाटा सं0-574, 573, 578

दक्षिण - गाटा सं0-583, 584, 585

विक्रीत भूमि गाटा सं0-590 की चौहद्दी :-

पूरब - गाटा सं0-586

पश्चिम - गाटा सं0-591

उत्तर - गाटा सं0-583, 591

दक्षिण - गाटा सं0-589

दयाशंकर

Srinivasa Developers
Shivendra Pratap Singh
Partner

प्रथम पक्ष की संख्या-1/विक्रेता	द्वितीय पक्ष की संख्या-2/क्रेता
दयाशंकर पुत्र मुन्नीलाल निवासी- ग्राम संदवा चन्द्रिका, किशुनगंज, जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०।	श्रीनिवासा डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय पता टी-9 फ्लैट नं० 403 अवध विहार योजना अलखनन्दा इन्क्लेव लखनऊ द्वारा पार्टनर शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र फतेहबहादुर सिंह निवासी 106द अधारपुर संदवा चन्द्रिका जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०
मो० नं०-9891626299 पैन कार्ड सं० FOBPS3787C	पैन कार्ड सं० ADYFS3971R मो०नं० 9891626599

जो कि प्रथम पक्ष/विक्रेता भूमि खसरा सं०/रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम निजामपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है। भूमि पर बोरिंग पेड़ व इमारत आदि नहीं है, विक्रय शुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं है तथा न ही अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है, जो आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता/प्रथमपक्ष को प्राप्त है। अतः अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हावास में उपरोक्त वर्णित भूमि को बिलएवज मुबलिग 34,52,000/- (चौतिस लाख बावन हजार रू०) में बदस्त उपरोक्त द्वितीय पक्ष / क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धनराशि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने समान क्रेता / द्वितीय पक्ष को करा दिया। आज की तारीख के बाद से विक्रेता/प्रथम पक्ष या उनके किसी वारिसानो कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उससे विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार से बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में क्रेता/द्वितीयपक्ष उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और किसी भी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता/द्वितीयपक्ष उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये, या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीकत विक्रेता/प्रथमपक्ष की करार न पायी जाये या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता/द्वितीयपक्ष उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्जा व नुकसान सहित विक्रेता/प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे,

दयाशंकर

Srinivasa Developers L
Shivendra Prasad

Partner

/5/

विक्रेता/प्रथमपक्ष का कोई मुकाम उज्र न होगा, आज की तारीख से क्रेता/द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये विक्रेता/प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति न होगी। विक्रीत भूमि स्थित ग्राम निजामपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

गाटा सं०- रकबा	दर प्रति हे०	मूल्यांकन
खाता सं०- 656 की गाटा सं०- 576/0.493 हे०, 577/0.063 हे०, 581/0.202 हे०, 582/0.013 हे० कुल 4 किता रकबा 0.771 हे० व खाता सं०-607 की गाटा सं०- 590/0.025 हे० कुल विक्रीत रकबा 0.796 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश।	18,00,000/- प्रति हे०	14,33,000/- रु०

भुगतान का विवरण :-

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	URT/IMPS
1.	14.07.2022	3,25,000/-	ICICR42022071400507981
2.	15.07.2022	90,000/-	219611597405
3.	15.07.2022	2,00,000/-	ICICR42022071500506829
4.	15.07.2022	15,000/-	219615501658
5.	30.07.2022	6,00,000/-	ICICR42022073000506206
6.	05.09.2022	4,15,000/-	ICICR42022090500512303
7.	06.09.2022	13000/-	224918695720
8.	08.09.2022	3,95,000/-	ICICR42022090800511503
9.	08.09.2022	5000/-	225113498504
10.	21.10.2022	7,00,000/-	ICICR42022102100503706
11.	21.10.2022	6,15,000/-	ICICR42022102100512378
12.	29.10.2022	5,000/-	230214350071
13.	18.11.2022	70,000/-	232212008303
14.	25.11.2022	2000/-	233117966187
15.	15.12.2022	2000/-	234911728092

इस प्रकार मु० 34,52,000/- रु० मुझ विक्रेता ने क्रेता उपरोक्त से प्राप्त कर लिया है अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

देवाशंकर

Srinivasa Developers
Shrinivasa Prathy Singh
Owner

1. विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है 200 मीटर परिधि में इमारत नहीं है।
2. चूंकि विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
3. विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग, सम्पर्क/खण्डंजा मार्ग के किनारे स्थित नहीं है।
4. विक्रीत भूमि विक्रेता/प्रथमपक्ष की क्रयशुदा सम्पत्ति है, राजस्व अभिलेखों में विक्रेता/प्रथमपक्ष का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।
5. विक्रीत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है।
6. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है व क्रेता गैरअनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन लखनऊ द्वारा वाद सं० डी 202310460002805 अं०धारा-98(1) दयाशंकर बनाम सरकार आदेश दिनांक 25.07.2023 को विक्रय अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।
7. यह कि विक्रीत भूमि की लगान उच्चतम 12-50 प्रतिबीघा है।
8. यह कि पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है।

पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय पत्र तैयार किया गया किसी भी प्रकार के लेन-देन, स्वामित्व विषयक व किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है विक्रेता की पहचान गवाहों द्वारा की गयी है।

दयाशंकर

Architected Developers
Shivendra Pratap Singh
Partner

आवेदन सं०: 202300822036042

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23700

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3452000 स्टाम्प शुल्क- 172600 बाजारी मूल्य - 1433000 पंजीकरण शुल्क - 34520 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 34580

श्री दयाशंकर,
पुत्र श्री मुन्नीलाल
व्यवसाय : अन्य

दयाशंकर

निवासी: संदवा चन्द्रिका किशुनगंज जिला प्रतापगढ उ० प्र०



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/07/2023 एवं 12:00:55 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेंद्र कुमार तिवारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ

27/07/2023

संजय कुमार गौतम

निबंधक लिपिक

27/07/2023



अतएव यह विक्रय पत्र स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में रूबरू गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक :- 27.07.2023

गवाहान

1-

Uman Kumar



उमर फारुकी पुत्र जहूर अकरम फारुकी
नि० शेखपुर जफर फैजाबाद।
मो० नं०-9115383111

विक्रेता

Uman Kumar



2-

Anurag Dubey



अनुराग दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार दुबे
नि०- 2/6 डफोडिल, 80 फिट रोड,
नियर एम.एस. रमाया हॉस्पिटल, संजय नगर,
बंगलौर, नार्थ बंगलौर, कर्नाटक।
मो० नं०-6388677138

क्रेता

Srinivasa Prasad

Shivendra Prasad

Partner



टाईपकर्ता

Devendra

{डी०के०}

तह०मोहनलालगंज, लखनऊ।

मसविदाकर्ता,

Arun

{ अरविन्द कुमार }

एडवोकेट

तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23700

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री दयाशंकर, पुत्र श्री मुन्नीलाल

निवासी: संदवा चन्द्रिका किशुनगंज जिला प्रतापगढ उ० प्र०

व्यवसाय: अन्य

दयाशंकर



क्रेता: 1

श्री श्रीनिवासी डेवलपर्स रजिस्टर्ड के द्वारा शिवेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री फतेहबहादुर सिंह

निवासी: 106द अधारपुर संदवा चन्द्रिका जिला प्रतापगढ उ० प्र०

व्यवसाय: व्यापार

Shivendra Pratap Singh



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री उमर फारुकी, पुत्र श्री जहर अकरम फारुकी

निवासी: शेखपुरा जफिर फरजाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री अनुराग दुबे, पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार दुबे

निवासी: 2/6 डफोडिल 80 फिट रोड नियर एम० एस० रमाया हॉस्पिटल संजय नगर बंगलौर नार्थ बंगलौर कर्नाटक

व्यवसाय: अन्य

Anurag Dubey



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार तिवारी

उप निबंधक: मोहनलालगंज

लखनऊ

27/07/2023

संजय कुमार गौतम

निबंधक लिपिक लखनऊ




27/07/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

प्रिंट करें

नजरी नकसा भूमि विक्रीत 200 मी० की त्रिज्या में स्थित



विकेता- दयाशंकर पुत्र मुन्नीलाल निवासी- ग्राम संदवा चन्द्रिका, किशुनगंज, जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०।
 क्रेता:- श्रीनिवासा डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय पता टी-9 फ्लैट नं० 403 अखण्ड विहार योजना अलखनन्दा इन्कलेव लखनऊ द्वारा पार्टनर शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र फतेहबादुर सिंह निवासी 106द अथारपुर संदवा चन्द्रिका जिला प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सम्पत्ति का विवरण- खाता सं०- 656 की गाटा सं०- 576/0.493 हे०, 577/0.063 हे०, 581/0.202 हे०, 582/0.013 हे० कुल 4 किता रकबा 0.771 हे० व खाता सं०-607 की गाटा सं०- 590/0.025 हे० कुल विक्रीत रकबा 0.796 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम निजामपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ।
 गाटा सं०- 576, 577, 581, 582 की चौहद्दी गाटा सं०-590 की चौहद्दी

पूरब - गाटा सं०-586	पूरब - गाटा सं०-575
पश्चिम - गाटा सं०-591	पश्चिम - गाटा सं०-580, 589, 561.
उत्तर - गाटा सं०-583, 591	उत्तर - गाटा सं०-574, 573, 578
दक्षिण - गाटा सं०-589	दक्षिण - गाटा सं०-583, 584, 585

ह० / नि० आ० विकेता

दयाशंकर

ह० / नि० आ० क्रेता

Srinivasa Developers
 Srinivasa Property Singh
 Partner

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Arshant
 (अरविन्द कुमार)
 एडवोकेट

दिनांक :- 27.07.2023

मोहनलालगंज लखनऊ।

आवेदन सं०: 202300822036042

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15774 के पृष्ठ 173 से 186 तक क्रमांक
23700 पर दिनांक 27/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


धर्मेन्द्र कुमार तिवारी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
27/07/2023





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन

वाद संख्या:- 2805/2023

दया शंकर बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202310460002805

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/07/2023

अंतिम आदेश

आवेदक दयाशंकर पुत्र मुन्नीलाल निवासी सदवा, चंद्रिका किशुनगंज जिला प्रतापगढ़ द्वारा अन्य जनपद का निवासी होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा जांच आख्या दिनांक 21.06.2023 प्राप्त हुई है। उक्त आख्या के क्रम में आवेदक उपरोक्त को ग्राम निजामपुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित खाता संख्या 607 गाटा संख्या 590 रकबा 0.025 हे० व खाता संख्या 656 गाटा 576 रकबा 0.493 हे०, गाटा संख्या 577 रकबा 0.063 हे०, गाटा संख्या 581 रकबा 0.202 हे० व गाटा संख्या 582 रकबा 0.013 हे० कुल 05 किता कुल रकबा 0.796 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति श्रीनिवासा डेवलपर्स पता प्लॉट नं० 403 अवध विहार योजना अलकनन्दा इन्वलेव, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी 106डी अथारपुर, सदवा, चंद्रिका जिला प्रतापगढ़ उ०प्र० के पक्ष में विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात् विक्रेता के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जायेगी।

1- विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्वगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य यथा अभिलेखीय/चिकित्सीय छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, यह संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

2- उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2006 के नियम-99 के प्रस्तर-8(ध) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा। विक्रेता को मूल्य देयता के सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिपेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से दो माह तक अनुमन्य होगी। क्रेता अपनी सुविधा अनुसार दो माह के अन्दर बैनामा करा सकता है।

4- क्रेता द्वारा विक्रेता को विक्रय धनराशि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भुगतान की दशा में ही विक्रय अनुमति मान्य होगी अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

5- विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी से संक्रमणीय में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड)(4) में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

इस आदेश की प्रति प्रस्तावित विक्रेता व क्रेता व सम्बन्धित तहसीलदार व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। तत्पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(डा० शुभी सिंह)

अपर कलेक्टर (प्रशासन)

लखनऊ।

आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।



(डा० शुभी सिंह)

अपर कलेक्टर (प्रशासन)

लखनऊ।